कार्यालय अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, (म०प्र०)

कार्यालय दूरभाष न.–07662–241655 ई–मेल–deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स न. 07662–251167 वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

कमांक/छात्र/एमसी/2026/ **रीवा, दिनांक**

आदेश

इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, शैक्षणिक सत्र 2026–27 की शुल्क जमा करने की तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

बिना विलंब शुल्क दिनांक 30.11.2026 तक

दिनांक 30.11.2026 के पश्चात विलंब शुल्क कुल फीस का 1% (एक प्रतिशत) ब्याज की दर से

संबंधित छात्र/छात्राएं कार्यालय लेखा शाखा में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से शुल्क जमा करें। दिनांक 30.11.2026 तक पूर्ण शुल्क जमा न करने पर कक्षाओं/पाठ्यक्रम/परीक्षा से निलंबित अथवा आगामी विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदाय नही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्राओं की होगी।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में भुगतान किये जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

एमबीबीएस बैच 2026–27 हेतु (शेष जमा की जाने वाली शुल्क)	
फीस	**राशि**
कीड़ा शुल्क	120.00
विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क	3000.00
लाइब्रेरी शुल्क	2000.00
कुल योग–	**5120.00**

एमबीबीएस बैच 2025–26 हेतु	
फीस	**राशि**
शिक्षण शुल्क	10000.00
छात्रावास शुल्क	12000.00
कीड़ा शुल्क	120.00
विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क	3000.00
लाइब्रेरी शुल्क	2000.00
कुल योग–	**117120.00**

एमबीबीएस बैच 2024–25 हेतु	
फीस	**राशि**
शिक्षण शुल्क	10000.00
छात्रावास शुल्क	12000.00
कीड़ा शुल्क	120.00
विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क	3000.00
लाइब्रेरी शुल्क	2000.00
कुल योग–	**117120.00**

21/10/25
Dean
S.S.Medical College
Rewa (M.P.)

एमबीबीएस बैच 2023–24 हेतु	
फीस	**राशि**
शिक्षण शुल्क	10000.00
छात्रावास शुल्क	12000.00
कीड़ा शुल्क	120.00
विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क	3000.00
लाइब्रेरी शुल्क	2000.00
कुल योग–	**117120.00**

एमबीबीएस बैच 2022–23 हेतु	
फीस	**राशि**
शिक्षण शुल्क	50000.00
छात्रावास शुल्क	12000.00
कीड़ा शुल्क	120.00
विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क	3000.00
लाइब्रेरी शुल्क	2000.00
कुल योग–	**67120.00**

टीपः–

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 5659/11502/72/XVII/एन.आई. भोपाल, दिनांक 13.07.1973 अनुसार जिन छात्रों द्वारा निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नही किया जाता है ऐसे छात्रों को प्रति छःमाही शिक्षण शुल्क महाविद्यालय में जमा करना होगा।
2. छात्रावास में निवासरत पूरक/इन्टर्न छात्र/छात्राओं द्वारा नियमानुसार वार्षिक छात्रावास शुल्क देय होगा।
3. छात्रावास शुल्क केवल छात्रावास में निवासरत छात्र/छात्राओं को ही जमा करना होगा एवं छात्रावास फीस जमा करने की रसीद की प्रति संबंधित छात्रावास कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन लेखा शाखा कैशियर से चालान प्राप्त कर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में राशि जमा करें तत्पश्चात चालान की रशीद स्वशासी कैशियर के रजिस्टर में अंकित करावें।
5. म.प्र. शासन द्वारा लागू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के हितग्राही शिक्षण शुल्क छोड़कर शेष अनिवार्य शुल्क उक्त समयावधि में जमा करें एवं उक्त छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार शिक्षण शुल्क जमा करेंगे।

28/10/20

अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक/छात्र/एम.सी./2026/25849-55 रीवा, दिनांक 28/10/26

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, अपने अधीनस्थ समस्त छात्र/छात्राओं को तत्संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. कार्यालय–लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि, स्वशासी समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 में लिये गए निर्णय एवं अनुमति अनुसार आदेश पृ. 3875–80/स्वशासी/एमसी/2016 दिनांक 01.03.2016 के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क रु. 3000/– तथा लाइब्रेरी शुल्क रु 2000/– भी वार्षिक शुल्क के साथ जमा करावें। इसके अतिरिक्त नियत अवधि में शुल्क जमा ना करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची छात्र शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. छात्रपाल–यूजी–कन्या एवं बॉयस छात्रावास की ओर भेजकर लेख है कि, उक्त छात्र/छात्राओं से छात्रावास शुल्क जमा होने की रसीद के बाद ही छात्रावास में रहने की अनुमति प्रदान करें।
4. समस्त छात्र/छात्राएं (एमबीबीएस पाठ्यकम) की ओर पालनार्थ।
5. नोटिस बोर्ड–कार्यालय/कालेज/छात्रावास–यूजी कन्या एवं बालक छात्रावास में चस्पा कर समस्त छात्र/छात्राएं (एमबीबीएस पाठ्यकम) की ओर पालनार्थ।
6. कॉलेज वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

28/10/26

अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)